



सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS, CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX
हैदराबाद 1 आयुक्तालय HYDERABAD-1 COMMISSIONERATE
केंद्रीय शुल्क भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004
KENDRIYA SHULK BHAVAN, L.B. STADIUM ROAD, BASHEER BAGH, HYDERABAD 500 004.
☎ - 040-23212072 (Telefax)

व्यापार सुविधा सं. TRADE NOTICE No.11/2012(S.Tax)(सेवाकर)

तारीख Date : 15.10.2012

विषय : सेवाकर- वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 85 के अधीन अपील- वित्त विधेयक, 2012 - के अधिनियमन के फलस्वरूप अपील अवधि में परिवर्तन- वित्त अधिनियम की धारा 85 की उप धारा (3 ए) दिनांक 28.05.2012 से सम्मिलित करना- संबन्धित।

Sub: Service Tax-Appeals under Section 85 of Finance Act, 1994-Change in the Appeal period consequent to enactment of Finance Bill 2012-sub-section (3A) of Section 85 of the Finance Act inserted w.e.f 28.05.2012-Reg.


वित्त अधिनियम, 2012 के अधिनियमन के फलस्वरूप दिनांक 28.05.2012 से धारा 85 की उप धारा (3 ए) को सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त उप धारा के अनुसार वित्त विधेयक, 2012 के अधिनियमन की तारीख को या उसके बाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (सेवा कर मामलों के संबंध में) अधीनस्थ न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा दिये गए आदेश/ लिए गए निर्णय के संबंध में अपील की अवधि उक्त निर्णय/ आदेश के प्राप्त होने की तारीख से दो माह की होगी। पुनः उक्त वित्त अधिनियम की धारा 85 (3ए) के परंतुक के अनुसार माफी की अवधि अपील की अवधि दो माह की समाप्तिकी तारीख से केवल एक माह की होगी।

Consequent to enactment of Finance Bill 2012, sub-section (3A) of Section 85 has been inserted w.e.f 28.05.2012. As per the said sub-section, the appeal period in respect of the orders/decisions made on or after the enactment of the Finance Bill 2012, of the adjudicating authorities subordinate to the Commissioner of Central Excise (in respect of Service Tax cases) is two months from the date of receipt of such decisions/orders. Further, as per the proviso to said Section 85(3A) of the Finance Act, the condonable period is just one month from the expiry of appeal period of two months.

वित्त अधिनियम की उपर्युक्त परिवर्तन को सभी संबंधितों की सूचना में लाया जाय।

The above changes in the Finance Act may be brought to the notice of all concerned.

This issues with the approval of Commissioner.



संजय राठी SANJAY RATHI

अपर आयुक्त (तक.)

ADDITIONAL COMMISSIONER(Tech.,)

(फा. सं. Issued from file C.No.IV/16/58/2012-C.Ex.,Tech.II/Hyd.Iसे जारी)

वितरण सूची 1 के अनुसार /As per Distribution List-I